

भोपाल, दिनांक 26 जून 2024

क्रमांक 1539/मप्रविनिआ/2024. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (1) के साथ पठित धारा 43(1), धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा 47, धारा 48(ख), धारा 50, धारा 56, धारा 181(2)(ब) एवं धारा 181(2)(भ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2021) की धारा (9)(अ) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (क्रमांक आरजी-1(II), वर्ष 2021), जिसे एतद् पश्चात् "मूल संहिता" विनिर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में चतुर्थ संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ:

1.1 यह संहिता "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (चतुर्थ संशोधन) {एआरजी-1(II)(iv), वर्ष 2024}" कहलायेगी।

1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश के शासकीय "राजपत्र" में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।

2. मूल संहिता के अध्याय 2 में संशोधन:

2.1 खण्ड 2.1 के उप-खण्ड (टट) के पश्चात् निम्न उप-खण्ड (टट1) स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“(टट1) “महानगरीय क्षेत्र (मेट्रोपॉलिटन एरिया)” से अभिप्रेत है संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243(त)(ग) के अधीन भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन राज्य शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र;”

3. मूल संहिता के अध्याय 4 में संशोधन:

3.1 मूल संहिता के खण्ड 4.17 में निम्न संशोधन किया जाए, अर्थात् :

प्रथम अनुच्छेद (Paragraph) के अन्त में प्रतीक चिन्ह विराम (:) को प्रतीक चिन्ह पूर्ण विराम (.) तथा शब्दों एवं प्रतीक-चिन्हों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्, शब्द तथा प्रतीक चिन्ह “बकाया

विद्युत शोध राशि कम्पनी/फर्म/व्यक्ति की आस्ति के रूप में प्रभारित रहेगी : मूल संहिता के खण्ड 4.17 के प्रथम परन्तुक से पूर्व इस पूर्ण विराम के पश्चात् अन्तर्स्थापित किया जाए।

3.2 मूल संहिता के खण्ड 4.25 में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

शब्दों तथा प्रतीक चिन्हों "महानगरीय क्षेत्र (Metropolitan Area) में तीन दिवस के भीतर," को मूल संहिता के खण्ड 4.25 के प्रथम वाक्य के शब्दों "समयावधि" के पश्चात् अन्तर्स्थापित किया जाए।

3.3 मूल संहिता के खण्ड 4.35 के द्वितीय अनुच्छेद (Paragraph)के पश्चात् निम्न परन्तुक अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"परन्तु यह कि पुनर्आकलन (reassessment) के कारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण मुख्य परिपथ (मेन्स) के विस्तार हेतु अधोसंरचना के आवेशन (चार्जिंग) के पश्चात् कोई भी प्रभार (charges) वसूली योग्य न होंगे।"

3.4 मूल संहिता के खण्ड 4.38 के द्वितीय अनुच्छेद (Paragraph)के पश्चात् निम्न परन्तुक अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"परन्तु यह कि पुनर्आकलन (reassessment) के कारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण मुख्य परिपथ (मेन्स) के विस्तार हेतु अधोसंरचना के आवेशन (चार्जिंग) के पश्चात् कोई भी प्रभार (charges) वसूली योग्य न होंगे।"

3.5 मूल संहिता के खण्ड 4.84 के उप-खण्ड (ड) के उप-खण्ड (4) के स्थान पर निम्न उप-खण्ड(4) स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(4) "बिलिंग के प्रयोजन से समूह गृह-निर्माण समिति की उच्चतम मांग की संगणना हेतु 15 मिनट के समस्त समय-खण्डों हेतु माह के दौरान ऐसे समस्त मापयन्त्रों की अभिलेखित मांग को समूह गृह-निर्माण समिति के मापयन्त्र में 15 मिनट के समय-खण्ड के तत्संबंधी अभिलेखित की गई मांग में से घटा दिया जाएगा। ऐसे में, समूह गृह-निर्माण समिति की बिलिंग के प्रयोजन हेतु उच्चतम मांग समूह गृह-निर्माण समिति के मापयन्त्र में 15 मिनट के समस्त समय-खण्डों में अभिलेखित मांग तथा ऐसे समस्त

उपभोक्ताओं की मांग के यथोचित अन्तर द्वारा प्राप्त उच्चतम मूल्य होगी।

4. मूल संहिता के परिशिष्ट-5 में संशोधन :

4.1 मूल संहिता के साथ संलग्न परिशिष्ट-5 के खण्ड 13 के उप-खण्ड (द) में निम्नलिखित संशोधन किया जाए, अर्थात् :

“परिशिष्ट-5 के खण्ड 13 के उप-खण्ड(द) में अंकित शब्द तथा संख्या “विद्युत प्रदाय संहिता 2013, जैसा कि वह समय-समय पर लागू हो” के स्थान पर शब्द तथा संख्या “समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत प्रदाय संहिता, 2021” स्थापित किये जाएं।

4.2 मूल संहिता के साथ संलग्न परिशिष्ट-5 के खण्ड 39 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए, अर्थात् :

परिशिष्ट 5 के खण्ड 39 में अंकित शब्दों, प्रतीक चिन्हों तथा संख्याओं “केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा संबंधी उपाय) विनियम 2010” के स्थान पर शब्द, प्रतीक चिन्ह तथा संख्या “समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023” स्थापित किये जाएं।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (चतुर्थ संशोधन) के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 26th June 2024

No. 1539/MPERC /2024. In exercise of the powers conferred under Section 181(1) read with Section 43(1), Section 44, Section 45, Section 46, Section 47, Section 48 (b), Section 50, Section 56, Section 181(2)(w), Section 181(2)(x) of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) and Section 9(j) of Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001), Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 (No. RG- 1(II) of 2021) herein after referred to as the 'Principal Code' namely: -

FOURTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY SUPPLY CODE, 2021

1. Short Title and Commencement-

- 1.1. This Code shall be called "**Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021 (Fourth Amendment) [ARG-1(II)(iv) of 2024]**".
- 1.2. This Code shall come into force from the date of its publication in the official Gazette of Government of Madhya Pradesh.

2. Amendment to Chapter 2 of the Principal Code:

- 2.1. **Following sub-clause (kk1) shall be inserted after sub-clause (kk) of clause 2.1, namely:**

"(kk1) "Metropolitan Area" means the area notified by the State Government under article 243P (c) of "The Constitution (74th Amendment) Act 1992" and Section 4 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973;"

3. Amendment to Chapter 4 of the Principal Code:

- 3.1. **Following amendment shall be made in Clause 4.17 of the Principal Code, namely:**

Symbol of Colon (:) at the end of the first paragraph shall be substituted by the symbol of full stop (.) and words and symbols "The outstanding electricity dues will be a charge on the asset of the company/firm/individual:" shall be inserted after this full stop before first proviso in Clause 4.17 of the Principal Code.

- 3.2 **Following amendment shall be made in clause 4.25 of the Principal Code, namely:**

Words and symbol “within three days in Metropolitan Area, ” shall be inserted in the first sentence of clause 4.25 of the Principal Code after the words “not exceeding”.

3.3. Following proviso shall be inserted after second paragraph of clause 4.35 of the Principal Code, namely:

“Provided that no charges on account of reassessment of load shall be recoverable after the charging of the infrastructure for extension of distribution mains by the licensee”.

3.4 Following proviso shall be inserted after second paragraph of clause 4.38 of the Principal Code, namely:

“Provided that no charges on account of reassessment of load shall be recoverable after the charging of the infrastructure for extension of distribution mains by the licensee”.

3.5. Following amendment shall be made in the sub-clause (4) of the sub-clause (e) of the clause 4.84 of the Principal Code, namely:

The sub-clause (4) of the sub-clause (e) of the clause 4.84 of the Principal Code shall be substituted by following, namely:

“(4) For computation of maximum demand of Group Housing Society for billing purpose, the demand recorded in the meters of all such consumers in all 15 minutes’ time block during the billing month shall be subtracted from the demand recorded in the meter of Group Housing Society in the corresponding 15 minutes time block. The maximum demand of the Group Housing Society shall be the maximum value of the demand recorded in all the 15 minutes time blocks of the Group Housing Society duly subtracted by the demand of all such consumers for billing purpose.

4. Amendment to Annexure 5 of the Principal Code:

4.1. Following amendment shall be made in sub-clause (d) of the clause 13 of the Annexure 5 appended with Principal Code, namely:

“Words and numbers “Electricity Supply Code 2013 as in force from time to time” in sub-clause (d) of the clause 13 of the Annexure 5 appended with Principal Code shall be substituted by words and numbers “Electricity Supply Code 2021 as amended from time to time”.”

4.2 Following amendment shall be made in clause 39 of the Annexure 5 appended with Principal Code, namely:

“Words, symbols and numbers “Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010” in the clause 39 of the Annexure 5 appended with Principal Code shall be substituted by words, symbols and numbers “Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 as amended from time to time”.”

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2024

शुद्धि-पत्र

क्र. मप्रविनिआ-संचा.-(एल.एण्ड आर)-2024-1540.- मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग की अधिसूचना क्र. 1237-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 24 मई 2024 (प्रकाशन तिथि 31 मई 2024) के हिन्दी संस्करण में “1237-मप्रविनिआ-2023” के स्थान पर “1237-मप्रविनिआ-2024” पढ़ा जाये.

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पाण्डा, आयोग सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2024

क्रमांक 1547 / मप्रविनिआ-2024. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86 की उप-धारा(1)(छ) सहपठित धारा 181 की उप-धारा(2)(यत) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 547-एमपीईआरसी-2010 दिनांक 03 मार्च, 2010 को अधिसूचित तथा दिनांक 12 मार्च, 2010 को प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2010 {आरजी-21(I), वर्ष 2010) को निम्नानुसार पुनरीक्षित करता है, अर्थात् :